UPMO0010064142026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद।

<u>जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-1784/2026</u>

पुष्पेन्द्र उम्र लगभग 30 वर्ष पुत्र शीशपाल सिंह, निवासी ग्राम बसेरा खास, थाना कुन्दरकी, जिला मुरादाबाद।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य।

मुकदमा अपराध संख्या–1151/2017,
धारा–394, 411 भारतीय दण्ड संहिता
थाना–कटघर, जिला–मुरादाबाद।

<u>09.06.2026</u>

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र, आवेदक/अभियुक्त पुष्पेन्द्र की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–1151/2017, अन्तर्गत धारा–394, 411 भारतीय दण्ड संहिता, थाना कटघर, जिला मुरादाबाद के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त पुष्पेन्द्र के सगा चचेरा भाई/पैरोकार लोकेश सिंह पुत्र बालिस्टर सिंह द्वारा शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि, आवेदक/अभियुक्त पुष्पेन्द्र का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अवर न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही निरस्त हुआ है।

3– संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि, वादी मुकदमा गिरधारी लाल द्वारा एक लिखित तहरीर सम्बन्धित थाने पर दिनांक 07.12.2017 को इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि, उसका छोटा भाई वीर सिंह पुत्र पीताम्वर सिंह बैक(एस.बी.आई.) डिंगरपुर में कैशियर है। वह ड्यूटी समाप्त कर घर वापस आ रहा था कि समय 06 बजे शाम रामगंगा पुल बाईपास पर तीन चार आदमी हाथों में डण्डें लिये सामने आ गये और गाड़ी रूकवाकर उनकी मोटरसाईकिल छीन ली तथा उसके भाई को मारपीट कर नीचे पटक दिया। वादी का भाई साँई अस्पताल में भर्ती है। लूटी गई मोटरसाईकिल का नम्बर याद नहीं है। वादी की उक्त तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने पर अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध उक्त मुकदमा धारा –394 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना, विवेचक द्वारा घटना का पता न लगने आधार पर मामले में अंतिम आख्या न्यायालय में प्रेषित की गयी थी। दिनांक 22.05.2026 को आवेदक/अभियुक्त एवं अन्य सह–अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, तो उनके कब्जे से प्रश्नगत मोटरसाईकिल बरामद हुई तथा

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2026.06.09 18:23:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मामले में धारा–411 भारतीय दण्ड संहिता की वृद्धि की गयी।

4– आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में मूल तर्क यह लिये गये हैं कि, आवेदक निर्दोष है। आवेदक के मुखालिफों ने पुलिस से हमसाज होकर आवेदक को उक्त मुकदमे में फंसाया गया है। घटना दिनांक 07.12.2017 को समय लगभग 06 बजे की बताई गई, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में दिनांक 07.12.2017 को समय 22:18 बजे लिखायी गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज कराई गई है। उक्त वाद के वादी द्वारा मोटरसाईकिल का नंबर रिपोर्ट में नहीं लिखा गया है। उक्त मुकदमें के विवेचक द्वारा अन्तिम रिपोर्ट संख्या–98/2018 दिनांक 24.02.2018 को लगाकर समाप्त कर दी थी। आवेदक को थाना पुलिस ने दिनांक 21.05.2026 की शाम को घर से बुलाया था कि कुछ पूछना है, परंतु थाने में बंद कर दिया था। आवेदक के पास से जो 90 रूपये बरामद दिखाए गए है, वह आवेदक के ही थे। आवेदक के पास में कोई मोटरसाईकिल किसी प्रकार की बरामद नहीं हुई है। आवेदक ने किसी के साथ कोई मारपीट नहीं की है। आवेदक एक गरीब मजदूर व्यक्ति है तथा मजदूरी कर अपना व अपने परिवार का पालन–पोषण करता है। उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि, अभियुक्त द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के भाई की मोटरसाईकिल की लूट की गयी है। गिरफ्तारी के समय उसके पास से बरामदगी हुई है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

6– जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7– प्रस्तुत प्रकरण, वादी मुकदमा के भाई को मारपीट कर उसकी मोटरसाईकिल लूटे जाने तथा आवेदक/अभियुक्त एवं अन्य सह–अभुक्तगण की गिरफ्तारी के समय उनके कब्जे से बरामद होने से संबंधित है। अभियोजन के अनुसार, प्रश्नगत घटना दिनांक 07.12.2017 की है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में इस आशय की दर्ज करायी गई थी कि, वादी का छोटा भाई वीर सिंह बैंक में कैशियर है। वह ड्यूटी समाप्त कर घर वापस आ रहा था कि समय 06 बजे शाम रामगंगा पुल बाईपास पर तीन–चार आदमी हाथो में डंडे लिए सामने आ गए और गाड़ी रूकवाकर उसकी मोटरसाइकिल छीन ली तथा उसके भाई को मारपीट कर नीचे पटक दिया अर्थात् अभियोजन के अनुसार आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। अभियोजन के अनुसार, प्रश्नगत मामले में विवेचक द्वारा घटना का पता न लगने के

आधार पर मामले में अंतिम आख्या न्यायालय में प्रेषित की गयी थी। घटना के लगभग 09 वर्षों बाद दिनांक 22.05.2026 को आवेदक/अभियुक्त एवं अन्य सहअभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, तो उनके कब्जे से प्रश्नगत मोटरसाईकिल बरामद होना बताया गया है, परन्तु बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 22.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रकरण में, सह–अभियुक्त प्रिन्स उर्फ सौरभ गोस्वामी की जमानत इस न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8– अतः मामले के तथ्यों परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर बिना राय व्यक्त किये हुये आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त पुष्पेन्द्र की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को मु0–75,000/–रूपये (पचहत्तर हजार रूपये) का स्वबंधनामा तथा समान राशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये।

(i)– आवेदक/अभियुक्त मामले के साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा या उन पर कोई दबाव डालने का प्रयास इत्यादि नहीं करेगा।

(ii)– आवेदक/अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायालय में अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करेगा।

(iii)– आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्ष्य नष्ट नहीं करेगा।

(iv)– माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परिपत्र पत्रांक 19/एडमिन–जी–2 दिनांकित 03.07.2017 इलाहाबाद के अंतर्गत आपराधिक अपील सं0–2407/1986 सुखदेव बनाम सरकार में पारित निर्देश दिनांकित 17.12.2016 के तहत प्रार्थी के जमानतनामें स्वीकृत करते समय प्रतिभुओं के स्थायी व अस्थायी पता विवरण के साथ प्रतिभुओं के शिनाख्ती प्रपत्र भी पृथक से दाखिल किया जावेगा।

(अनिल कुमार–IV)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–01,
मुरादाबाद।
J.O. Code–UP6124